राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या-31/2016/कोटा

मैसर्स दामोदरटेक इन्टरनेशनल प्रा०लि०, 239, बृजराजपुरा, कोटा।

.....प्रार्थी

बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा।

.....अप्रार्थी

खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित:-

श्री मदन मोहन शर्मा एवं वी.के.पारीक, अभिभाषकगण। श्री अनिल पोखरणा, उप—राजकीय अभिभाषक।

अपीलार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक:— 19.04.2017

निर्णय

- 1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित अपील संख्या 2377/2011/कोटा निर्णय दिनांक 24.02.2014 एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 52/2014/कोटा निर्णय दिनांक 29.10.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत किया गया है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2377/2011/कोटा का निस्तारण करते हुए माननीय खण्डपीठ, राजस्थान कर बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2014 द्वारा व्यवहारी की अपील को अस्वीकार किया। कर बोर्ड द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा प्रथम संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 52/2014/कोटा प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण करते हुए माननीय खण्डपीठ ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 को अस्वीकार किया गया। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा पुनः यह द्वितीय संशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
- 3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, जिसे आलौच्य अविध में मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जिसे आगे 'NPCIL' कहा जायेगा) रावतभाटा एटॉमिक पॉवर स्टेशन 1 से 6 द्वारा वर्क ऑर्डर संख्या 61957 No. RAPS-1 to 6/RRS/Elect. (G.S.)92240/2009S/1119 दि. 02.02.2009 से Work order for "Supply, installation, testing and commissioning of electric system and electrical equipments required for 33/11KV substation at residential colony of NPCIL, Rawatbhata Rajasthan. The value of the work works out to Rs. 3,79,09,406/inclusive of Service tax प्राप्त हुआ है तथा Work Order No. 61983 No. RRS/GS/E;ect/Cpmst//92240/S/126 दिनांक 12.03.2009 से Work order for "Supply, transportation, handling and storage at site, erection, testing and commissioning of 33 KV two separate over head lines from 230/33/KV Sub-station of RAPP-5&6 plant site to residential colony at NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site. The value of the work works out to Rs. 7,25,63,325/- inclusive of Service tax प्राप्त हुआ। दोनों ही कार्य संविदाओं के क्लॉज 1.1 व 2.0 इस प्रकार हैं:—

2

प्रथम कार्य के लिये -

1.1 - Item No. 1.6.1, 1.8.1 to 1.8.10, 1.8.12, 1.8.14, 1.9.1, 1.9.2.1, 1.11, 1.12, 2.2, 2.8.1 to 2.8.10, 3.1, 3.3 to 3.11, 4.1.1 to 4.4.1.2, 4.4.3.1, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.5, 4.7.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 6.21.1, 6.21.2, 6.32, 6.33.5, 6.40 are AHR, Execution of these item shall be done @ your quoted rate up to 125% of respective item. In case any of such item exceeds then individual item rate shall be payable at NPCIL estimated rates. However, as agreed you shall offer suitable rebate on completion of contract to remain the lowest bidder (refer letter no. 1042 A dated 18-11-2008)

2.0 - The contract is for finished item of work (which includes supply of material, labour, fabrication, installation and commissioning) as per the referred tender

specifications and schedule of quantities.

द्वितीय कार्य के लिये -

1.1 - Item No. 6, 13, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2 and 15.3 are AHR, Execution of these item shall be done @ your quoted rate up to 125% of respective item. In case any of such item exceeds then individual item rate shall be payable at NPCIL estimated rates. However, as agreed you shall offer suitable rebate on completion of contract to remain the lowest bidder (refer letter no. 1056-T/2008 dated 29.01.09)

2.0 - The contract is for finished item of work (which includes supply of material, labour, fabrication, installation and commissioning) as per the referred tender

specifications and schedule of quantities.

- इन कार्यों को अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63) एफडी / टैक्स / 2005-80 दिनांक 11.8.2006 (जिसे आगे 'अधिसूचना' कहा जायेगा) की सूची के आईटम नं0 3 "works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material" esa Rate of exemption fee 2.25% of the total value of the contract अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को E.C. के लिये आवेदन किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अवार्डेड कार्य अधिसूचना की क्रम संख्या 3 के तहत नहीं मानकर आईटम संख्या 4&Any other kind of works contract not covered by item no. 1, 2 & 3. esa Rate of E.C. 3.00% of the total value of the contract निर्धारित करते हुए आदेश दिनांक 26.2.2010 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित इस आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ ने उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 24.02.2014 को करते हुए अपील अस्वीकार की गई एवं इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को भी कर बोर्ड ने दिनांक 29.10.2015 को अरवीकार किया।
- 5. इस संशोधन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की निर्णय दिनांक 24.02.2014 के पेज 3 के पैरा संख्या 3 की भाषा से स्पष्ट है कि कर बोर्ड के माननीय सदस्यगण value of statues को समझने में असमर्थ रहे हैं। उनका कथन है कि अपील सुनवाई के समय लिखित में बहस (arguments) प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें अधिसूचना संख्या एफ12(63)एफडी / टैक्स / 2005—80 दिनांक 11.08.2006 पर विचार किये बिना ही अपील को निर्णीत किया गया है। उनका कथन है कि कर बोर्ड के माननीय सदस्यगण ने निर्णय पारित करते समय हल्के (frivolous) विचार दिमाग में रखे हैं। उन्होंने उक्त आधार पर निर्णय दिनांक 24.02.2014 में रिकार्ड से भूल परिलिक्षित (apparent mistake on the face of record) होती है, जो संशोधन योग्य है। अतः संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

A

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समय पत्रावली पर उपलब्ध कार्य आदेशों के 'जी' शिड्यूल अनुसार Finished Goods के Supply व installation व अन्य अनुषंगी कार्य है। कार्यादेश संख्या 61983 में 'जी' शिड्यूल के क्रम संख्या 1-8 तक माल सप्लाई व क्रम संख्या 9–16 तक माल व installation etc. के कार्य हैं। इसी प्रकार कार्यादेश संख्या 61957 में क्रम संख्या 1 से 1.8.14 तक माल सप्लाई तथा 1.9 में Earthing System 1-10 में Steel supply से सम्बन्धित है, जो अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 4 में कार्यादेश से सम्बन्धित होने के कारण ई.पी. 3.00 प्रतिशत देय है। उनका कथन है कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात निर्णय दिनांक 24.02.2014 पारित किया है, जो अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधनीय नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभपक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं निर्णय दिनांक 24.02.2014 का अवलोकन किया गया। अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2014 में निम्न निर्णय पारित किया है:-

''उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कार्य आदेशों के 'जी' शिड्यूल अनुसार Finished Goods के Supply व installation व अन्य अनुषंगी कार्य है। कार्यादेश संख्या 61983 में 'जी' शिड्यूल के क्रम संख्या 1—8 तक माल सप्लाई व क्रम संख्या 9—16 तक माल व installation etc. के कार्य हैं। इसी प्रकार कार्यादेश संख्या 61957 में क्रम संख्या 1 से 1.8.14 तक माल सप्लाई तथा 1.9 में Earthing System 1-10 में Steel supply से सम्बन्धित है। इस प्रकार 'जी' शिड्यूल को समग्रता से देखने से प्रतीत होता है कि कार्यादेशों में मशीनरी स्थापना से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना की आईटम संख्या 4 में कार्यादेश से सम्बन्धित होने के कारण तदनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने E.C. Fee निर्धारण विधि अनुकूल किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उसकी पुष्टि कर कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।''

8. उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 24.02.2014 एवं 29.10.2015 पारित करने से पूर्व अधिसूचना दिनांक 11.08.2008 एवं जी शिड्यूल का पूर्ण रूप से अवलोकन करने के पश्चात निष्कर्ष दिया है कि कार्यादेशों में मशीनरी स्थापना से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं है बल्कि माल सप्लाई से सम्बन्धित है, इसलिए अधिसूचना की संख्या 4 आईटम से कवर होने के कारण उसी अनुसार ई.सी.फीस निर्धारण किया गया है,इसलिए यह कहना कि माननीय सदस्यगण ने निर्णय दिनांक 24.02.2014 पारित करते हुए value of the statues समझने में असमर्थ रहे और माननीय सदस्यगण ने निर्णय पारित करते समय हल्के (frivolous) विचार दिमाग में रखे हैं, उचित नहीं है। निर्णय दि. 24.02.2014 एवं 29.10.2015 के पठन से कोई रिकार्ड से भूल परिलक्षित नहीं होती है, जिसे संशोधित किया जा सके।

.....4.

9. यहां भी उल्लेख किया जाता है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उक्त धारा के अन्तर्गत निर्णय का पुनरावलोकन किया जाने का उल्लेख नहीं है। अधिनियम की धारा 33 निम्न प्रकार है:-

9. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33.—

Rectification of a mistake.- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrosepective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) "No application for rectification shall be filed under subsection (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub-section(1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

इस सम्बन्ध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :--

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

इसी प्रकार उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, माननीय न्यायालयों द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित विधि पर गहनता से विचार करना आवश्यक है जैसाकि माननीय न्यायालयों द्वारा परिशोधन (Rectification) व पुनर्विलोकन (Review) के प्रावधानों पर विचार कर, इस संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है:—

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालाराम, (टी.एस.) आयकर अधिकारी बनाम् वोकार्ट ब्रदर्स, 1971 2 एस.सी.सी. 26(सु.को.) ए.आई.आर. 1971 (सु.को) 2204 में परिशोधन के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :—



- "A mistake apparent on the record must be an obvious and patent mistake and not something which can be established by a long drawn process of reasoning on points on which there may conceivably be two opinions."
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय ने किमश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज बनाम् स्टील कॉ. गुजरात (2005) 142 एस.टी.सी. 107 के मामले में परिशोधन (<u>rectification</u>) व पुनर्विलोकन <u>(review)</u> को स्पष्ट करते हुये निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया है :-

"Although the ground for rectification, namely an error on the face of the record may be common to a power for review, the nature of the power to be exercised in the two cases is distinct. The power of review is not limited to rectification and is wider than the power conferred under section 35-C-(2). We are unable to hold that the error was a manifest one which could admit of no dispute. It was a debatable point which was raised".

(iii) माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा मैसर्स देवा मेटल पाउडर प्रा.लि. बनाम् किमश्नर ट्रेड टैक्स, यू.पी. (2007) 10 वी.एस.टी. 751 (सु.को.) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण हेगड़े बनाम् मिल्लकार्जुन भावनाप्पा तिरूमाले एआईआर 1960 (सु.को.) 137 में प्रतिपादित निम्न विधि का अनुसरण किया है । इस संबंध में निर्णय में मैसर्स विग्यन इण्डस्ट्रीज़ बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक 92 एस.टी.सी. 270 में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया गया है :--

"An error apparent on the face of record for acquiring jurisdictions to effect <u>rectifications</u> must be such an error which may strike one on were looking at the record and would not require any long drawn process of hearing"

अन्ततः इस संबंध में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"An error which has to be <u>established</u> by a long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions can hardly be said to be an error apparent on the face of the record......"

(iv) मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011, जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि परिशोधन के प्रावधानान्तर्गत केवल अभिलेख से प्रकट भूल ही परिशोधन योग्य है तथा पूर्व में पारित आदेश का "पुनर्विलोकन" (review) प्रावधानों के अभाव में, परिशोधन के प्रावधानों के तहत् अनुझेय नहीं है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विक्रय कर अधिनियम तथा वैट अधिनियम में "पुनर्विलोकन"(review) के प्रावधान ही नहीं है। केवल आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण (Revision) किये जाने के प्रावधान विक्रय कर अधिनियम की धारा 87 व वैट अधिनियम की धारा 85 में हैं।

पूर्व उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत <u>भैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील</u> संख्या 2692/2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 में अन्ततोगत्वा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष प्रतिपादित किये गये हैं:-

"Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re-appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be

B

H

6 – संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या—31/2016/कोटा

clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary, finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records."

10. उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्कों एवं अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से निर्णय पारित किया है एवं इसी आधार पर पूर्व में प्रथम बार प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को दिनांक 29.10.2015 से खारिज किया जा चुका है एवं अब पुनः दूसरी बार यह संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात निर्णय दिनांक 24.02.2014 एवं 29.10.2015 में रेकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होने से अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित निर्णय के आलोक में संशोधनीय नहीं है। उपरोक्तानुसार संशोधन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)

सदस्य

(मदन लाल) सदस्य